सहायक कलेक्टर
शिव (बाड़मेर)

फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी/वादी	बनाम	विप्रार्थी/प्रतिवादी
1. सजनसिंह पुत्र अचलसिंह उर्फ अलसिंह जाति राजपुत, निवासी तालों का गांव, तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. ईश्वरसिंह पुत्र अगरसिंह 2. कंवराजसिंह पुत्र कलसिंह 3. गुलाबसिंह पुत्र अगरसिंह 4. गोरधनसिंह पुत्र कलसिंह 5. लीलाकंवर पत्नी अगरसिंह फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 1 व 3 कौम राजपुत, निवासी तालों का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. राज0 राज्य जरीये तहसीलदार शिव

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (212) मुकदमा नम्बर 105/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2021	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की अविभाजित एवं पैतृक खातेदारी का खेत मौजा तालों का पार, पटवार मण्डल कोटड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1037 रकबा क्रमशः 2.3957 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 पूर्व पुरूष स्व0 भीमसिंह के वशंज है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण अपने हिस्से में रहवासी ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़ा सहित काबिज काश्त है। विवादित आराजी पैतृक एवं अविभाजित होने एंव प्रार्थी का रेकर्डड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। विप्रार्थीगण 1 से 4 जबरदस्ती व बलपूर्वक तरीके से प्रार्थी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त वाली भूमि को अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है। 7 रोज पूर्व जब क्रेताओं को भूमि दिखाने आये तब प्रार्थी द्वारा मना करने एवं समझाइश करने पर भी विप्रार्थीगण नहीं माने तथा प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकियां दी। यदि विप्रार्थी संख्या 1 से 4 विवादित आराजी का बिना बंटवारा करवाये सरजोर व्यक्तियों को बैचान कर अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकेगी। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी की उपजाउ हिस्से की भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर अजनबी क्रेताओं को बैचान करना चाहते है, जबकि विप्रार्थीगण को इसका कानूनी अधिकार नहीं है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में विप्रार्थी संख्या 1 से 4 किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें व विवादित आराजी का बिना बंटवाड़ा किसी व्यक्ति को बैचान न करे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में विप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ... प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही में शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि :– (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबंधी किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किया जाने, क्षतिग्रस्त ... जाने या परकीकरण किये जाने (Alienated) के खतरे में है, या (ख) उक्त वाद या कार्यवाही के संबंद्ध में कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस संपत्ति को हटाने या उसका व्ययन (Disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है :– तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

आदेश या कार्यवाही की क्रम संख्या व तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.08.25	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित। पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा की पूर्व में बहस सुनी गई है। प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की शामिल भूमि मौजा तालों का पार के खाता नम्बर 1037 रकबा 2.3957 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/2 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी में विप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी करने पर माननीय न्यायालय द्वारा मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति हेतु अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। मेरे वाद में विप्रार्थीगण संख्यान रेकर्ड्स खातेदार या पक्षकार संयोजित नहीं है। उक्त विवादित आराजी का बैचान या हस्तान्तरण होने पर अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा जाकर ताफैसला वाद कन्फर्म किया जावे। विप्रार्थी संख्या 7 के वकील की बहस है कि वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी का पूर्व में विप्रार्थी संख्या 7 को बैचान किया जा चुका है तथा वक्त बैचान से ही विवादित आराजी पर विप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की अन्य भूमि में प्रार्थी द्वारा ऋण लेने पर हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में रहन अंकित करते समय गलती से उक्त विवादित आराजी के खाता नम्बर 1037 को भी साथ में रहन दर्ज कर दिया गया, जिससे विप्रार्थी संख्या 7 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो सका। बाद में प्रार्थी व	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	विप्रार्थी संख्या 1 ते 5 द्वारा दुरभी संधि करते हुए स्वयं पक्षकार बनकर स्थान ले लिया, जिसके प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ते 5 अधिकारी नही है। विवादित आराजी का बेचान होने एवं ~~प्रार्थी~~ विप्रार्थीनी संख्या 7 के काबिज काश्त होने से ~~प्रथम~~ प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के बजाय विप्रार्थीनी संख्या 7 के पक्ष में है। सम्पूर्ण भूमि का बेचान दस्तावेज भी संलग्न है। विप्रार्थीनी संख्या 7 द्वारा क्रय की हुई भूमि से उसे बेदखल किया जाता है तो अपूरणीय क्षति विप्रार्थीनी संख्या 7 को होनी संभावित है। अतः प्रार्थी का उक्त आवेदन मनगढ़त, निराधार व गलत तथ्यों पर आधारित होने तथा पोषणीय नही होने से खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष वाकुलाय की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न बेचान पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ते 5 द्वारा पूर्व में विप्रार्थीनी संख्या 7 को बेचान किया जा चुका है। साथ ही बेचान पत्र में मौके रूप से कब्जा क्रेता विप्रार्थीनी संख्या 7 को दिये जाने का कथन है। अतः विवादित आराजी विप्रार्थीनी संख्या 7 को बेचान की होने व काबिज काश्त होने से ~~प्रार्थी~~ प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आधार पर यदि भूमि हस्तांतरण होता है तो इससे क्रेता खातेदार विपक्षी संख्या 7 को अपूर्ण क्षति होगी। अतः इस स्थिति में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पोषणीय नहीं होने से इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा साथ ही पूर्व में दिनांक 20.09.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:41 IST
Reason: SelfAttested